Ph. 0144-2346139
seniorhydrogeologist.alwar@gmail.com

राजस्थान सरकार

कार्यालय वरिष्ठ भू–जल वैज्ञानिक (सर्वे. एवं अनु.)
भू–जल विभाग, अलवर

क्रमांक : 2654 दिनांक : 04/03/2021

मैसर्स गणपति लाईजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0,
भूखण्ड संख्या पी – 1,
योजना सिंचाई भवन (मधुवन कॉलोनी),
अलवर।

विषयः– पेयजल हेत बोरिंग करने की अनुमति बाबत।
सन्दर्भ :– आपक पत्रांक निल दिनाँक 04.03.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भू जल प्राधिकरण की अधिसूचना, भारत सरकार के राजपत्र दिनाँक 24 सितम्बर 2020 में प्रकाशित एवं सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग एवं भू जल विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F.(5)CGWA/GRA/SHG/2020/520-521 दिनाँक 12.11.2020 तथा श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर के आदेश क्रमांक विकास/भूजल/2020/1257–1305 दिनाँक 18.12.2020 के द्वारा भारत में भू जल निकासी को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिसमें उपभोक्ताओं की कई श्रेणियों यथा पेयजल हेतु व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता, कृषि कलाप, 10 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से कम भू जल आहरण करने वाले माइक्रो एवं स्माल उधोग को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने में छूट का प्रावधान है। इन श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के लिए उक्त अधिसूचना का अवलोकन कर अपनी श्रेणी अनुसार आवश्यकता होने पर केन्द्रीय भू जल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियम, शर्तों, निर्धारित शुल्क एवं दिशा निर्देशों अनुसार दिए गये पोर्टल cgwa-noc.gov.in पर आवेदन कर अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

नोट :– केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नये दिशा निर्देश जारी होने पर उपरोक्त सूचना में फेरबदल संभव है।

वरिष्ठ भू–जल वैज्ञानिक,
भू–जल विभाग, अलवर

वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक
(सर्वेक्षण एवं अनुसंधान)
भू जल विभाग, अलवर (राज0)